13/10/12 वकील वादी एवं वकील प्रतिवादी गैरहाजिर
वकील प्रतिवादी एवं प्रतिवादी को बार बार
आवाज दिलाई गैरहाजिर होने पर इकतरफा
की जाती है वकील वादी ने बहस उनके
पेश किये किया की वादी द्वारा वाद को आगे
नहीं चलाना चाहते हैं वाद को वापिस लेने
वादिनी प्रार्थना वकील प्रतिवादी द्वारा 6/10/12
को गैरहाजिर पेश आज दिं० को गैरहाजिर
होने पर वकील वादी की प्रार्थना पत्र स्वीकार
कर वाद की कार्यवाही आगे नहीं
चलाने पर वाद वापिस खारिज (वादिनी
किया जाता है) नियम मुताबिक रु० कम होने
दण्ड हाजिल हो

डिक्री जारी इकतरफा उनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)